

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1257

दिनांक - 17.6.19


प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जेठाराम 2 शंकराराम पिसरान केसराराम जाति नाई निवासी करली, आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 हुकमाराम 2 दौलाराम पिसरान पुरखाराम 3 भूरी पत्नी पुरखाराम 4 दौलाराम पुत्र जीयाराम 5 जेताराम पुत्र वाघाराम जाति नाई 6 सवाईराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी केरली, आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 603/2018

दिनांक- 11.06.19

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा केरली पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर  
के खसरा संख्या 1452/1142 रकबा 23.11 बीघा, खसरा संख्या 1140 रकबा 0.15 बीघा  
कुल रकबा 24.06 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए  
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत  
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की  
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच  
सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/1258 to 61

दिनांक- 17.6.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आदर्श चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जेठाराम पुत्र केसराराम वगैराह जाति नाई निवासी करली, आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हुकमाराम पुत्र पुरखाराम जाति नाई निवासी करली, आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर